एम्नेस्टी इन्टरनेसनल

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल

संयुक्त राष्ट्रसंघसे प्रतिपादित मानवाधिकारके विश्वव्याप घोषणापत्र

मानव अधिकारके विश्वव्यापी घोषणापत्र

प्रस्तावना

संसारके मानव परिवारके सक्कु सदस्यन्मे अन्तरनिहित प्रतिष्ठा, समानता ओ नैहरे सेक्जैना अधिकारके सम्मानके लग स्वतन्त्रता, न्याय ओ शान्तिके आधार हुइलक ओरसे,

मानव अधिकारप्रति अवहेलना ओ उपेक्षाके परिणामस्वरुप मानव जातिक् विवेकहे जो आघात पुगैना वर्वरतापूर्ण काम हुइलक् ओ मानव जातिहे नैडराके आपन आस्था ओ वाक स्वतन्त्रताके उपभोग करे पैना सर्वसाधारण जनतन्के उच्चतम् आकांक्षा हुइल ओरसे,

अत्याचार ओ दमनके विरुद्व अन्तिम उपायके रुपमे विद्रोह करक टन व्यक्तिन्हे बाध्य नैकराइक लग कानूनके शासनसे मानव अधिकारके संरक्षण कैना बहुट आवश्यक हुइलक ओरसे,

देश-देशके बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध अभिबृद्वि कैना अवाश्यक हुइलक ओरसे,

संयुक्त राष्ट्र संघके जनतन् वडापत्रमे मनावके मौलिक अधिकार ओ ओकरे प्रतिष्ठा ओ जन्नी ओ थारू (पुरुष) के बीच

संयुक्त राष्ट्रसंघसे प्रतिपादित मानवाधिकारके विश्वव्याप घोषणापत्र

बराबर अधिकार अभिव्यक्त कैके वृहत स्वतन्त्रताके साथे सामाजिक प्रगति ओ आउर मजा जिन्गीक् स्तर प्रवर्द्धन कैना ओइने दृढ संकल्प कैलक ओरसे,

सदस्य राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघके सहयोगमे मानव अधिकार ओ मौलिक स्वतन्त्रता पाके विश्वव्यापी सम्मान, पालना ओ प्रवर्द्धन हासिल कैना प्रतिज्ञा कैलक ओरसे, ओ यी स्वतन्त्रताके पूरा प्राप्तीक् लग बराबर समझदरी हुइना महत्वपूर्ण हुइलक ओरसे,

महासभा सक्कु जनता ओ सक्कु देश हासिल कैना एक साझा मापदण्डको रुपमे यी मानव अधिकारके विश्वव्यापी घोषणापत्रहे घोषणा करटा ओ यी उद्देश्यके लग प्रत्येक व्यक्ति ओ समाजके प्रत्येक अंग यी घोषणापत्रहे निरन्तर ध्यानमे ढैके शिक्षण ओ शिक्षाके माध्यमसे यी अधिकार ओ स्वतन्त्रता प्रतिके सम्मान प्रवर्द्धन कैना ओ राष्ट्रिय ओ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमे सदस्य देशके जनतन्बीच, ओइनके क्षेत्र ओ क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उ अधिकारके सम्मान ओ पालना कैना प्रयत्न रहना विश्वास लेले बा ।

धारा १ :

सक्कु व्यक्ति प्रतिष्ठा ओ अधिकारके आधारमे जन्मजात स्वतन्त्र ओ बराबर रठाँ । ओइने बुद्धि ओ विवेक लेके आइल रठाँ ओ एक डोसरप्रति भातृत्वके व्यवहार करेपरठ ।

धारा २ :

जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनैतिक ओ आउर विचारधारा, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति ,जन्म वा औरे कौनो हैसियत जसिन कौनो फेन आधारमे कौनो फेन मेरीक भेदभाव विना प्रत्येक व्यक्तिहे यी घोषणापत्रमे उल्लिखित अधिकार ओ स्वतन्त्रताके अधिकार रहीहिन् । यकर साथे रजनीतिक, क्षेत्राधिकार या अन्यत्र देश वा क्षेत्रसंगे सम्बन्धित व्यक्ति कौनो फेन स्वतन्त्र, संरक्षित, स्वशासन रहित वा बाह्य सत्तासे शासित देश कना जसिन कौनो फेन भेदभाव नैकैजाई ।

धारा ३ :

प्रत्येक व्यक्तिहे जिन्गीक् स्वतन्त्रता ओ सुरक्षाके अधिकार रही ।

धारा ४ :

किहुहे फे कमैया (बाँधा वा दास) बनाइ नै ढैजाइ । कौनो मेरिक दासत्व ओ दास व्यापारहे पूरा रुपमे निषेध कैगइल बा ।

धारा ५ :

कौनो फेन व्यक्तिहे शारीरिक यातना डेना ओ डरलग्टीक् , अमानवीय वा अपनमानजनक व्यवहार वा सजाय नैकैजाइ ।

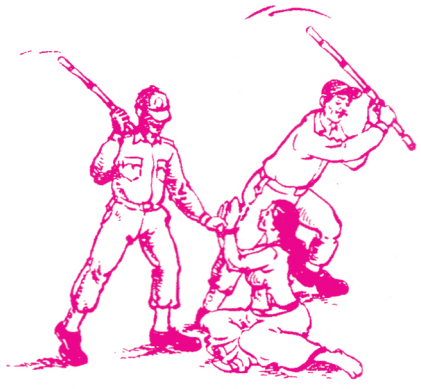

धारा ६ :

सर्वत्र कानूनके दृष्टिमे प्रत्येक व्यक्तिहे व्यक्तिक् रुपमे मान्यता पैना अधिकार रही ।

धारा ७ :

सक्कु व्यक्ति विना भेदभाव कानूनके दृष्टिमे बराबर रहीही ओ कानूनके आधारमे सक्हुन बराबर व्यवहार कैजाइ । सक्कु व्यक्तिन् यी घोषणापत्रके उल्लङ्घन वा आकुर कौनो मेरिक भेदभाव वा कौनो मेरिक भेदभावके लग उम्कर्ना विरुद्ध कानूनके बराबर संरक्षण पैना अधिकार रही ।

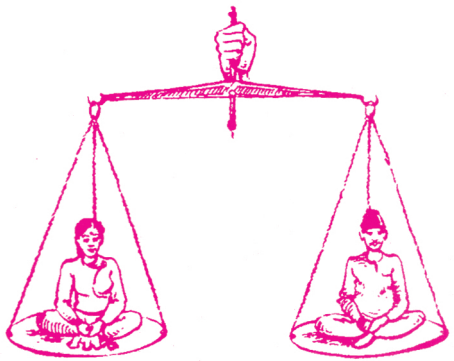

धारा ८ :

प्रत्येक व्यक्तिन्हे संविधान वा कानूनसे मिल्लक् मौलिक अधिकारके उल्लङ्घन कैना कामक् विरुद्ध सक्षम न्यायालायासे प्रभावकारी उपचार पइना अधिकार रही ।

धारा ९ :

किहु फेन स्वेच्छाकारी रुपले पक्रना, नजरबन्दमे ढैना ओ देश निकाला नैकैजाइ ।

धारा १० :

प्रत्येक व्यक्तिहे ओकर उपर लगा गइल फौजदारी अभियोग वा ओकर अधिकार ओ दायित्वके निरुपण करेबेर स्वतन्त्र ओ सक्षम न्यायालयसे बराबर ढंगले निष्पक्ष ओ सार्वजानिक सुनुवाई करे पैना पूरा अधिकार रही ।

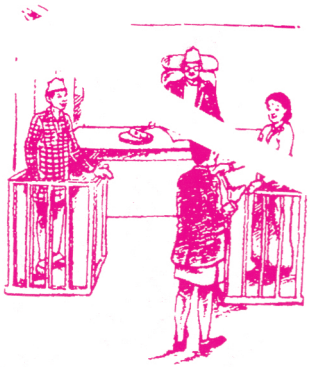

धारा ११ :

(१) दण्डनीय कसूरके अभियोग लागल प्रत्येक व्यक्तिहे सार्वजनिक सुनुवाइमे अपन प्रतिरक्षाके लग आवश्यक प्रमाण पेश कैना ओ कानून बमोजिम दोषी प्रमाणित नैहुइटसम निर्दोष हुइना अधिकार रही ।

(२) कौनो व्यक्तिहे काम करेबरे वा नैकरेबेर राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कानून दण्डनीय कसूर नैमान्जैना ओसिन काम कैना कौनो फेन व्यक्तिहे दण्डनीय कसूरके दोषी प्रमाणित कैके सजाय नै कैजाइ ओ उ दण्डनीय कसूर करेबेरिक लागू कैगैलक सजायसे ढेर सजाय फेन नै कैजाइ ।

धारा १२ :

कौनो फेन व्यक्तिक् गोपनीयता, परिवार, घर वा पत्र व्यहारमे स्वेच्छाचारी वा गैरकानूनी हस्तक्षेप नैकैजाइ। ओ ओकर प्रतिष्ठा ओ ख्यातीमे फेन गैरकानूनी आक्रमण नैकैजाइ। प्रत्येक व्यक्तिहे ओसिन हस्तक्षेप वा आक्रमण विरुद्ध कानूनसे संरक्षण पैना अधिकार रही।

धारा १३ :

१. प्रत्येक व्यक्तिहे आपन देशके सीमाना भित्तर अइना जइना ओ बैठे पैना पैना स्वतन्त्रताके अधिकार रही ।

२. प्रत्येक व्यक्तिहे अपन देश या कौनो फेन देश छोरे पैना ओ अपन देश घुमे पैना अधिकार रही ।

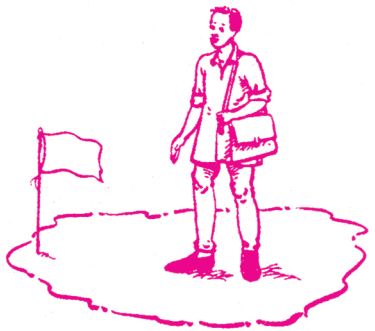

धारा १४ :

१. प्रत्येक व्यक्तिहे अत्याचार ओ उत्पीडनसे बचक् लग कौनो फेन देशमे आश्रय लेहे पैना अधिकार रही ।

२. गैर-राजनीतिक अपराध वा संयुक्त राष्ट्र संघके उद्देश्य ओ सिद्धान्त विरुद्धको कामसे वास्तविक रुपमे उत्पन्न मुद्दामे भर यी अधिकारके उपभोग करे नैसेक्जाइ ।

धारा १५ :

१. प्रत्येक व्यक्तिहे राष्ट्रियताके अधिकार रही ।

२. कौनो फेन व्यक्तिहे स्वेच्छाकारी ढंगसे ओकर राष्ट्रियतासे वञ्चित नै कैजाजाइ, ओ कौनो फेन व्यक्तिहे राष्ट्रियता परिवर्तन करे पैना अधिकारसे वञ्चित नैकैजाइ ।

धारा १६ :

१. उमेर पुग्लक थारु (पुरुष) ओ जन्नी मनैन्हे जाति, राष्ट्रियता वा धर्मके वन्देज विना भोज कैके परिवार बैठैना अधिकार रही । ओइनहे भोज करेबेरीक्, वैवाहिक सम्बन्ध रहेबेरीक् ओ भोज विच्छेदके बेर बराबर अधिकार मिल्हीन् ।

२. इच्छुक दुल्हा दुल्हनीयक् स्वतन्त्र ओ पूरा मन्जुरीमे किल भोज कैजाजाइ ।

३. परिवार समाजके प्राकृतिक ओ आधारभूत इकाई हो । ओहेसे परिवार समाज ओ देशसे संरक्षण पैना अधिकार राखठ् ।

धारा १७ :

१. प्रत्येक व्यक्तिहे आपन व्यक्तिगतके साथे ओ आउर जनहनके संग्ललग्नतामे सम्पत्ति ढैना अधिकार रही ।

२. कौनो फेन व्यक्तिहे स्वेच्छाकारी ढंगसे ओकर सम्पत्तिसे वञ्चित नै कैजाजाइ ।

धारा १८ :

प्रत्येक व्यक्तिहे आपन विचार ढैना, विवेक प्रयोग कैना ओ धर्मके स्वतन्त्रताके अधिकार रही । यी अन्तर्गत उ अपन रोजल धर्म वा आस्था बडल्ना स्वतन्त्रता ओ व्यक्तिगत वा आउर जनहनसँगे मिलके ओ सार्वजनिक वा निजी रुपमे पूजाआजा कैना स्वतन्त्रताके साथे, अपन धर्म मन्ना, अपन धर्म सिखैना, आस्था प्रकट कर्ना, पूजाआजा करे पैना स्वतन्त्रता आदि परठ ।

धारा १९ :

प्रत्येक व्यक्तिहे विचार ओ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताके अधिकार रही । यी अधिकार अन्तर्गत विना हस्तक्षेप अंपन विचार ढारे पैना स्वतन्त्रता, सिमानाके बन्देज विना कौनो फेन माध्यमसे सूचना ओ विचार पैना, खोज्ना ओ प्रसार कैना स्वतन्त्रता समेत परठ ।

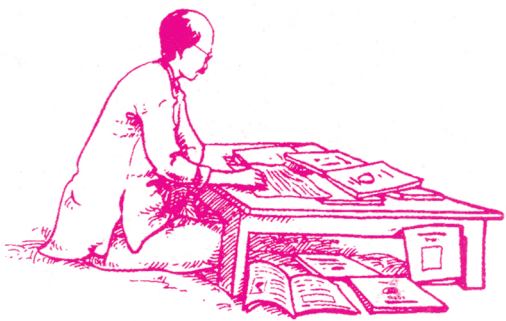

धारा २० :

१. प्रत्येक व्यक्तिहे शान्तिपूर्वक सभा कैनो ओ संगठन खोल्ना स्वतन्त्रताके अधिकार रही ।

२. कौनो फेन व्यक्तिहे कौनो फेन संगठनमे लग्ना बाध्य कराइ नैसेक्जाइ ।

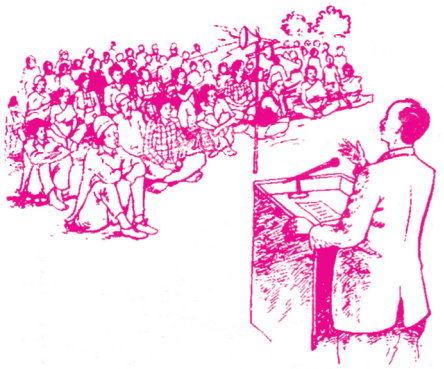

धारा २१ :

१. प्रत्येक व्यक्तिहे प्रत्यक्ष वा स्वतन्त्र रूपले छानल प्रतिनिधि मार्फत् आपन देशके सरकारमे भाग लेहे पैना अधिकार रही ।

२. प्रत्येक व्यक्तिहे अपन देशके सार्वजनिक सेवामे बराबर पहुँच पैना अधिकार रही ।

३. सरकारके शासन कैना अधिकार जनतन्के इच्छामे रही । असिन इच्छा आवधिक ओ निष्पक्ष चुनावसे अभिव्यक्त कैजाजाइ ओ ओसिन गोप्य चुनाव वा ओस्टेहे कौनो मेरीक स्वतन्त्र मतदान प्रणालीसे कैजाइ ।

धारा २२ :

समाजके सदस्यके हैसियतमे प्रत्येक व्यक्तिहे सामाजिक सुरक्षाके अधिकार रही, साथे प्रत्येक व्यक्तिहे देशके राष्ट्रिय प्रयत्न वा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत् प्रत्येक देशके स्रोत ओ साधन अनुसार ओकर प्रतिष्ठा ओ स्वतनत्र व्यक्तित्वके विकासके लग अपरिहार्य आर्थिक, सामाजिक ओ सांस्कृतिक अधिकार बेल्से पैना अधिकार रही ।

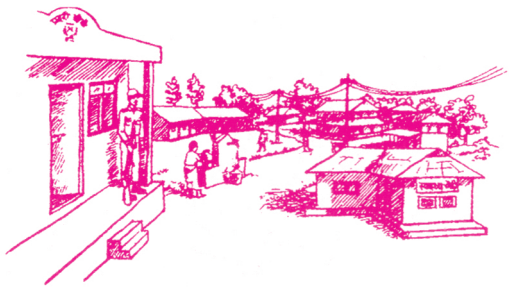

धारा २३ :

१. प्रत्येक व्यक्तिहे काम कर्ना, आपन मनले काम रोज्ना ओ काम करक् लग उचित ओ अनूकूल परिस्थितिके सिर्जना ओ वेरोजगारी उपर संरक्षण पैना अधिकार रही ।

२. प्रत्येक व्यक्तिक् कौनो फेन भेदभाव विना बराबर कामके लग बराबर पारिश्रमिक पैना अधिकार रही ।

३. काम कैना प्रत्येक व्यक्ति ओ अपन परिवारके लग मानवीय प्रतिष्ठा अनुरुप जीविकाके बन्दोवस्तके लग उचित ओ पारिश्रमिक पैना ओ आवश्यक हुइलेसे सामाजिक संरक्षणसे अन्य उपयासे ओम्ने भरथैगके अधिकार रही ।

४. प्रत्येक व्यक्तिहे अपन हित के रक्षाके लग ट्रेड युनियन खोल्ना ओ ओम्हे सम्मिलित हुए पैना अधिकार रही ।

धारा २४ :

प्रत्येक व्यक्तिहे मुनासिव काम समय सीमा ओ तलब सहितके आवधिक छुट्टि सहित बिसैना ओ फुर्सदके अधिकार रही ।

धारा २५ :

१. प्रत्येक व्यक्तिहे ओकर ओ ओकर परिवारके स्वास्थ्य ओ कल्याणके लाग खाद्यान्न, कपडा, आवास ओ दरदवाइके सुविधा ओ आवश्यकता अनुसारके सामाजिक सेवा सहित स्तरयुक्त जिन्गी जिना अधिकार रही । ओस्टक वेरोजगारी, वेरामी, असमर्थतता, विधवा, वुढेसकाल वा अपन सेकटसमके वाहेरके आउर परिस्थितिमे साधन ओ श्रोतके अभावमे जीविकोपार्जनमे समस्या हुइ कलेसे सुरक्षाके अधिकार रही ।

२. डाई ओ लर्कन् विशेष हेरचाह ओ सहायता पैना अधिकार रही । भोज हुके वा नैहुके जन्मलक सक्कु लर्कापर्कन् वराबर सामाजिक संरक्षण उपभोग कर्ना अधिकार रही ।

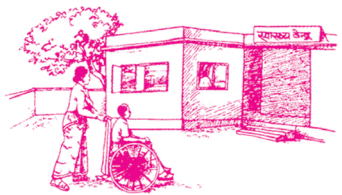

धारा २६ :

१. प्रत्येक व्यक्तिहे शिक्षाके अधिकार रही । कम्तिमे फेन प्रारम्भिक ओ आधारभूत शिक्षा निःशुल्क रही । प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य रही । प्राविधिक ओ व्यवसायिक शिक्षा सक्हुनके लग सहजिल रही ओ उच्च शिक्षा योग्यताके आधारमे सक्हुन बराबर रुपमे उपलब्ध रही ।

२. शिक्षा मानवीय व्यक्तित्वके पूरा विकास ओ मानव अधिकार ओ मौलिक स्वतन्त्रताके सम्मानहे सुदृढ कैनाओर निर्देशित रही । शिक्षा सक्कु देश जाति ओ धार्मिक समूहबीच समझदारी, सहिष्णुता ओ मित्रता प्रवर्द्धन कैना ओ संयुक्त राष्ट्र संघके शान्ति कायम कैना प्रयत्नहे आघे बढ्हैना सहयोग करी ।

३. अपन लर्कापर्कन्हे डे जैना शिक्षा रोज्ना प्राथमिक अधिकार डाई-बावन् रही ।

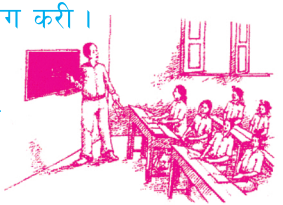

धारा २७ :

१. प्रत्येक व्यक्तिहे अपन समुदायके साँस्कृतिक जिन्गीमे स्वतन्त्र रुपसे सहभागी हुइना, कला उपयोग कैना ओ वैज्ञानिक प्रगति ओ यकर उपयोगके फाइदा उपभोग कैना अधिकार रही ।

२. प्रत्येक व्यक्तिहे अपन लिखल वा सिर्जाइल कौना फेन वैज्ञानिक, साहित्यिक वा कलात्मक कृतिसे मिलल् नैतिक ओ भौतिक फाईदक् संरक्षण कैना अधिकार रही ।

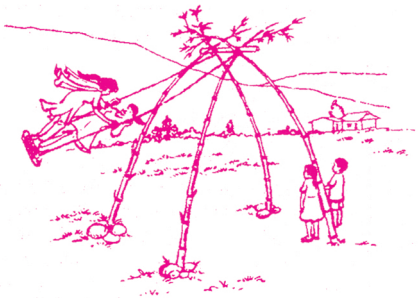

धारा २८ :

प्रत्येक व्यक्तिहे यी घोषानापत्रमे उल्लिखित अधिकार ओ स्वतन्त्रता पूरा रुपले पइना सामाजिक ओ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाके अधिकार रही ।

धारा २९ :

१. प्रत्येक व्यक्तिक् अपन समाज प्रति दायित्व रही, ओसिन समाजमे बैठ्के किल व्यक्तिके स्वतनत्रता ओ पूरा व्यक्तित्वके विकसके सम्भावना रहठ ।

२. अपन अधिकार ओ स्वतन्त्रताके उपभोग करेबेर प्रत्येक व्यक्ति औरेक् अधिकार ओ स्वतन्त्रताके आदर कर्ना चाही ओ प्रजातान्त्रिक समाजके नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था ओ सर्वसाधारणके कल्याणके लग चहना उचित आवश्यकता हासिल करेबेर कानूनसे निर्धारित सीमा भित्तर रहे परी ।

३. यी अधिकार ओ स्वतन्त्रता संयुक्त संघके सिद्धान्त ओ उद्देश्य विपरित हुइना मेरीक कौनो फेन हालतमे उपभोग करे नै मिली ।

धारा ३० :

कौनो देश, वर्ग वा व्यक्ति यी घोषानापत्रमे उल्लिखित अधिकार ओ स्वतन्त्रताहे मेटैना उद्देश्यले वा कौनो काम सेक्ना मेरीक वा काम कौना मेरीक यी घोषणापत्रमे उल्लिखित अधिकार ओ स्वतन्त्रताहे व्याख्या करे नैसेक्जाइ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघसे प्रतिपादित मानवाधिकारके विश्वव्याप घोषणापत्र

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल

मानवअधिकारके विश्वव्याप घोषणापत्र व अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजम लिखगइलक सक्कु मानवअधिकार हरमनै वेल्स पैलक विश्व बनैना जो एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके परिदृश्य (Vision) रहल वा व यी संस्थाके सक्कु अभियान उह परिदृश्यओर सोझ्रल रठा । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके परिदृश्यहन् पूरा करकलाग मानवअधिकारके विश्वव्याप घोषणापत्र व अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रम लिखौलक अधिकारके गम्भीर उल्लङ्घन रोक्ना व निखारक लाग अध्ययन अनुसन्धान व अभियान चलैना एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके उद्देश्य रहल बाटस् ।

- बेलायतके वकिल पीटर बेनेन्सनद्वारा २८ मे १९६१ म सुरु कर्लक अभियान
- सन् १९७७ म नोवेल शान्ति पुरस्कार व सन् १९७८ के संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार पुरस्कारलगायतके विश्वम चलल् पुरस्कार व सम्मानसे विभूषित
- मानवअधिकारके लाग काम कर्ना निष्पक्ष व प्रजातान्त्रिक ढङ्गसे चलागैलक एक्ठो अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी अभियान ।
- साधारण मनैन्से चलैलक असाधारण अभियान
- अखिन संसारभर १५० से धेउर ड्यासम ७० लाखसे धेउर सदस्य व सखुइयन रहलक

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल

नेपालम सन् १९६९ म कानुन व्यवसायी नुतन थपलिया एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके स्थापना कर्लह व संस्थाके पहिला अध्यक्ष हृषिकेश शाह हुइल । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल संसारके कौनो फे कोन्चम हुइना मानवअधिकार उल्लङ्घन व जाट्टिवित्तिक (ज्यादती) के घट्नाम अभियान चलाक आपन सदस्यहुँकन उहिम परिचालन कर्ना कर्ठा । अखिस एम्नेस्टी नेपालम ८००० सदस्य रहलम आधा युवा सदस्य बट । ऊ सदस्यन् ३८ जिल्लाम रहलक ७८ ठो समूह व ५४ ठो युथ नेटवर्कम आवद्ध बट ।

संयुक्त राष्ट्रसंघसे प्रतिपादित मानवाधिकारके विश्वव्याप घोषणापत्र

का अप्न फे एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालके सदस्य बन चहबी ?

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल मानवअधिकार व एम्नेस्टी इन्टरनेसनलके आदर्शहन सम्मान कर्ना मनैन डुवर्ष्या सदस्यता डेना कर्ठा । तरपन अप्न फे एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालके सदस्य बन चहठी कलसे तपसिलक तीन मेह्रिक सदस्यमसे कौनो एकठो रोज्के सदस्यता पारम भर्ख रुप्यासहित एम्नेस्टी नेपालक ठेकानम पठाइसेक्वी ।

समर्थक सदस्य : संस्थाके विधान व उद्देश्यन्के पालना कर्टी संस्थाके अभियानम सखाए चहना तरपन निर्णय प्रक्रियाम मताधिकार नैचहना १६ वरससे ज्वान जे फे कौनो बिना तरउप्पर (भेदभाव) रु.५००।- रुप्या टिर्खे एम्नेस्टी नेपालक समर्थक सदस्यता पाइ सेक्ने वा ।

समूहगत साधारण सदस्य : एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालम आबद्ध समूह व निर्माणाधीन समूहके कार्यसमितिक निर्णयवमोजिम रु ५००।- रुप्या टिर्खे कलक समूह व निर्माणाधीन समूहम आबद्ध होके सदस्यता पैलक सदस्यहन् समूहगत साधारण सदस्य कजिठा । असिन सदस्यन् सम्बन्धित समूह व समूहमसे एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालके निर्णय प्रक्रियाम मताधिकार पाजिने वा ।

युथ नेटवर्क सदस्य : संस्थक विधान व उद्देश्यन्क पालना कर्ना व एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालके वार्षिक साधारणसभाम मताधिकार निचहना १४ से २५ वरससमके मनै रु.२००।- रुप्या टिर्खे युथ नेटवर्कके सदस्यता पाइ सेक्ने वा ।

मुद्रित मिति : मंसिर २०७६ (December 2019), संख्या : २५०० प्रति

प्रकाशक

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल शाखा
एम्नेस्टीमार्ग, वसन्तनगर, बालाजु
पो.ब.नं. १३५, काठमाडौं, नेपाल ।
फोन नं. ००९७७-१-४३६४७०६/४३६५४३१
फ्याक्स नं. ००९७७-१-४३५४९८७

info@amnestynepal.org
amnestynepal.org
amnesty.nepal
amnestynepal